न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 45 / 19
(जीसीएमएस नम्बर 2019 / 00339)

निर्णय दिनांकः– 30-01-26

1. श्रीमती वन्दना राजपुरोहित पत्नी श्री शिवभगवान राजपुरोहित जाति राजपुरोहित उम्र 61 वर्ष निवासी– 7 बी–21, पवनपुरी दक्षिण विस्तार, बीकानेर हाल निवासी एन–117, केन्द्रीय विहार विद्याधर नगर सेक्टर नम्बर 6, जयपुर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. श्रीमती नित्य कंवर पत्नी श्री दलपतसिंह जाति राजपुत निवासी गॉव सेरूणा हाल सेरूणा हाउस प्रौथ शिक्षा भवन के पास पुरानी गिन्नाणी बीकानेर।
2. दुष्यंतसिंह पुत्र श्री त्रिभुवन सिंह जाति राजपुत निवासी गॉव सेरूणा हाल सेरूणा हाउस प्रौथ शिक्षा भवन के पास पुरानी गिन्नाणी बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कारर्पोशन लिमिटेड भगत की कोठी, जोधुपर–342005 जरिये सीनियर रिजनल मैनेजर

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 30–07–2018
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित व श्री राजेश लदरेचा, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सुरेश व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री सतपाल सहु, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4
4. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ के निर्णय दिनांक 30–07–2018 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांटा की एक कृषि भूमि वाके गाँव सेरुणा तहसील श्रीहेंगरगढ में खसरा नम्बर 1031/223 तादादी 26 बीघा स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलांटा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से जरिये विक्रय पुत्र पंजीबद्व दिनांक 10.02.2004 को प्राप्त की है। विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 183 पृष्ठ संख्या 170 के क्रम संख्या 2004000370 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या । जिल्द संख्या 252 के पृष्ठ संख्या 187 से 197 पर चस्पा किया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटा के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ जिसका नामान्तरण संख्या 38 दिनांक 28.09.2004 को स्वीकृत किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1464/1449 में कुल 6.58 हेक्टेयर भूमि रिकॉर्डेड है । उक्त भूमि का कुल रकबा रेस्पोडेन्ट सं० 1 के नाम से 48 बीघा 02 बिस्वा का था। इस सम्पूर्ण भूमि के लिए रेस्पोडेन्ट सं० 1 द्वारा दलपतसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह को मुख्त्यारआम घोषित किया गया। मुख्त्यारआम दलपतसिंह ने कुल 48 बीघा 2 बिस्वा भूमि को कुल 4 विक्रय पत्र के माध्यम से हस्तान्तरित की गई। तथा सबसे बड़ी कृषि भूमि 26 बीघा अपीलांटा के पक्ष में हस्तान्तरित हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि को मुख्त्यारआम दपलतसिंह द्वारा अपीलांटा को कृषि भूमि विक्रय की गई और शेष भूमि मे से 15 बीघा मुख्त्नयारआम द्वारा अपनी पत्नी को विक्रय की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी कुल 15 बीघा कृषि भूमि से में से एक बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट सं० 3 जो रेस्पोडेन्ट सं० 2 का ही दोहिता है उसके पक्ष में हस्तान्तरित की गई और जिसका नामान्तरण संख्या 1107 दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट सं० 3 द्वारा इस कृषि भूमि में पेट्रोल पम्प लगाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। अपीलांटा अपने पति के सेवानिवृत पश्चात वर्तमान में जयपुर में निवास करती है। अपने गाँव आसल खेडी जिला चुरू पारिवारिक कार्य से आई हुई थी तो दिनांक 10.05.2017 को अपने नजदीक रिश्तेदारों से मिलने सडक रास्ते

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से बीकानेर आ रही थी रास्ते में अपने खेत को सम्भालने खेत में रूकी तो देखा कि अपीलांटा के ही खेत के पश्चिमी किनारे सडक से लगते स्थान पर ट्रेक्टर द्वारा जमीन को समतल किया हुआ था जिसस अपीलांटा के खेत की सीमायें जो विक्रय के समय दलपतसिंह द्वारा बताकर पत्थर लगाये हुवे थे मौके पर नहीं थी। अपीलांटा के पति ने पूछताछ की तो खेत के काश्तकार ने कहा, कि दलपतसिंह जी पेट्रोल पम्प लगा रहे है, जिसके लिए जमीन को सीधा किया गया। इस पर अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया। वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्टान की सहमति से खसरा नम्बर 1464/1449 पर रेस्पोडेन्टान / प्रतिवादीगण प्रवेश ना करे का आदेश प्रसारित कर दिया गया। इस कारण मौके पर विवाद समाप्त हो गया ऐसा मानते हुवे अपीलांटा ने वाद में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही किया, दूसरी ओर न्यायालय द्वारा मूल वाद में कार्यवाही जारी रखी गयी, ठीक से जानकारी नहीं होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करने के कारण साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो पायी दावा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश प्रसारित किये गये वह पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, मौखिक साक्ष्य के विरूद्ध जाकर प्रस्तुत किये गये है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के साथ संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को दरकिनार करते हुवे दावा खारिज किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे को खारिज कर दिया गया लेकिन डिक्री नहीं बनायी गयी जो विधि के स्थापित के स्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध थे तथा राज्य पक्ष भी रिकॉर्ड पर है जो लैण्ड होल्डर है। अधिनस्थ न्यायालय को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय प्रसारित करना चाहिये था मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद को खारिज करना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ दिनांक 30–07–2018 स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड करने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांटा घरेरू महिला है अपने पति के सेवानिवृत होने के पश्चात जयपुर में निवास करती है जहां से उसके अधिवक्ता के साथ बातचीत नहीं हो पायी इस कारण से वह साक्ष्य में उपस्थित नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हो पायी और ना ही दावे का निर्णय हो जाने की जानकारी ही प्राप्त हो पायी। दिनांक 14.10.2019 को रेस्पोडेन्ट सं० 3 द्वारा अचानक पेट्रोल पम्प की कार्यवाही को बाला बाला पूर्ण किया जा रहा था जिसकी सूचना मिलने पर अपीलांटा ने आपत्ति प्रस्तुत की इस समय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 14.06.2017 के स्टेट्स की जानकारी चाही अपीलार्थीनी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो जानकारी मिली कि दावा खारिज हो चुका है इस पर अपीलांटा द्वारा दिनांक 15.10.2019 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, नकल वगैरहा प्राप्त कर अपने अधिवक्ता द्वारा यह अपील प्रस्तुत करवायी जा रही है जो अपीलार्थीनी की जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील में हुई देरी के लिए अलग से देरी का शमन करने का निवेदन भी किया गया है। अतः अपीलांटा की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा को दर्ज रजिस्टर करते हुए। अपीलांटा/वादीनी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये गये। परन्तु अपीलांटा/वादीनी को साक्ष्य हेतु कई अवसर प्रदान करने के बावजूद भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीनी का दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। वादिनी/अपीलांटा अब अपील के माध्यम से रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। अपीलांटा द्वारा अपील में कोई पर्याप्त कारण दर्शित नही किये है जिससे अपीलांटा का प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे। अपीलांटा एक पढ़ी लिखी महिला है उसे अपने अधिकारो के प्रति सजग रहना चाहिए था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–02–2018 को वाद बिन्दू विरचना तय किय गये। तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। वादीनी/अपीलांटा को साक्ष्य पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिनांक 25–04–2018 को दिया गया। परन्तु इसके बाद भी वादीनी/अपीलांटा द्वारा साक्ष्य पेश नही किये गये। अपीलांटा को साक्ष्य हेतु 5 अवसर प्रदान किये गये। अपीलांटा/वादीनी द्वारा साक्ष्य पेश नही करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीनी का दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2007 (2) पेज 939, आरआरटी (1) डीबी पेज 432, आरआरटी 2023 (1) पेज 202, आरआरटी 2024 (1) पेज 653, सीसीसी 2011(4) पेज 581, सीसीसी 2018(2) पेज 440, पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांटा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–07–2018 के विरूद्ध अपील दिनांक 21–10–2019 को पेश की है। अपील मियाद बाहर है। अपील को अन्दर मियाद शुमार करने के कोई पर्याप्त कारण दर्शित नही किये है। अतः अपीलांट की अपील मियाद पेश होने के कारण खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में सर्वप्रथम जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–07–2018 के विरूद्व अपील दिनांक 21–10–2019 को प्रस्तुत की गई है। मियांद पर अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांटा के पति की सेवानिवृति के बाद अपीलांटा जयपुर में निवास करने लगे इस कारण अपीलांटा को प्रकरण की जानकारी नही हो सकी। अपीलांटा साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाई। अपीलांटा का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलांटा जिले से बाहर होने के कारण अपने वकील से संपर्क नही कर पाई। और इस कारण उसे प्रकरण की जानकारी नही हो सकी। न्यायालय द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर नरम रूख अपनाते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जावे। इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत किये जाने से अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटा को सर्वप्रथम दिनांक 15–10–2019 को हुई। प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत किये जाने का कथन अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में अंकित किया है जिसके समर्थन में अपीलांट ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए व गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना श्रेयस्कर होने के बिन्दु के मध्यनजर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है इस न्यायालय को अपील में इस बिन्दू पर विचारण करना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित की है अथवा नही?

इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादिया/अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए प्रस्तुत किया गया। इस वाद के जरिये वादिया/अपीलांटा ने प्रश्नगत भूमि को स्वयं की खरीद शुदा होना अभिकथित करते हुए मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम व सीमाज्ञान का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 25–'04–2018 को साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिया गया। उसके पश्चात आगामी दो पेशियों पर भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को अपीलाधीन आदेश द्वारा साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है।

इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि अपीलांटा/वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत किया गया उसे साबित करने का भार वादिया पर था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/अपीलांटा को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये गये। उसके पश्चात अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपीलांटा/वादिया द्वारा प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रस्तुत नही किये गये। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद वादिया को साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया। वाद चलाने की जिम्मेदारी वादी पर होती है। वाद में कायम तनकी संख्या 1 को साबित करने की जिम्मेदारी वादीया पर थी। वादिया द्वारा अपने वाद के अभिकथनो के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। साक्ष्य पेश करने में विफल रहने पर वाद वादिया खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 30-01-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते